



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun



25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/PHONE-0135-2650809, ईमेल/ E-mail-moef.dhn@gov.in

पत्र सं० 8बी/यू.सी.पी./06/130/2021/एफ.सी./१७१

दिनांक: 20/10/2023

सेवा में,

- ✓ अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद - पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़ तवाघाट मोटर मार्ग के किमी० 72.00 (ढूंगातोली/विनियागांव) से 107.600 (तवाघाट) तक मोटर मार्ग के चौड़ीकरण हेतु 29.690 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु सीमा सड़क संगठन को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/149608/2021)

सन्दर्भ: अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या— 242/FP/UK/ROAD/149608/2021 दिनांक 04.08.2023 (received online on 03.10.2023)

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 22.12.2021 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक-31.01.2022 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें उल्लिखित शर्तों की अनुपालना अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड शासन के संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत कर दी गयी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद— पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़ तवाघाट मोटर मार्ग के किमी० 72.00 (ढूंगातोली/विनियागांव) से 107.600 (तवाघाट) तक मोटर मार्ग के चौड़ीकरण हेतु 29.690 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु सीमा सड़क संगठन को प्रत्यावर्तन हेतु विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर-वानिकी भूमि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सौंपने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरण**
(क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 59.38 हे० सिविल सोयम भूमि ग्राम- न्यू पट्टी, पोखरी, तहसील-धारचूला, खसरा संख्या 116 पर क्षतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक संभव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाएगा और प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।



(ख) क्षतिपूरक वनीकरण के उद्देश्य से राज्य के वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित कर दी गई है तथा अवगत कराया गया है कि "सन 1893 के राजपत्र के अनुसार यह भूमि संरक्षित वन क्षेत्र है तथा उक्त भूमि का अमल दरामद राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है एवं इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है" अतः राज्य सरकार उक्त भूमि जो अब वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित कर दी गई है को अपनी कार्य योजना में शामिल करना सुनिश्चित करें।

(ग) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

4. वन अधिकार अधिनियम, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र से सुनिश्चित किया जाएगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को यथासंभव न्यूनतम रखेगा जिनकी सं0 प्रस्ताव के अनुसार वन भूमि में 471 वृक्षों 105 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे।
6. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
7. संरक्षित क्षेत्रों/ वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
8. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
9. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
10. वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
11. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
12. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।
13. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
14. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
15. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
16. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।

17. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
18. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

This bears the approval of competent authority.

भवदीय,



(डा० योगेश गैरोला)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

/

(डा० योगेश गैरोला)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

